न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1239/2024

अनवान : –

1. बलवंत सिंह पुत्र अमर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अमरजीत सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी 26 एनटीआर तहसील नोहर ।
2. [illegible] पाल कौर पत्नी वीरसिंह जाति जटसिख निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांकः-10/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 44/32 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6080 है0 मुश्तरका खाता की भूमि में वादी का 253/608 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 51/608 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 63/63 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.1510 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 249/755 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 506/755 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 44/32 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6080 है0 भूमि व खाता संख्या 63/63 की 0.1510 है0 भूमि के प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/1 की 0.152 है0 व 17 के मिन पूर्व की 0.101 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर वादी काबिज है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/2 की 0.075 है0 एवं 16/3 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 18 की 0.253 है0, 17 के मिन पश्चिम की 0.152 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 2 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो [illegible] आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 44/32 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6080 है0 भूमि व खाता संख्या 63/63 की 0.1510 है0 भूमि के प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/1 की 0.152 है0 व 17 के मिन पूर्व की 0.101 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर वादी काबिज है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/2 की 0.075 है0 एवं 16/3 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 18 की 0.253 है0, 17 के मिन पश्चिम की 0.152 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 2 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 44/32 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6080 है0 मुश्तरका खाते की भूमि में वादी का 253/608 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 51/608 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 304/608 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 63/63 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.1510 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 249/755 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 506/755 हिस्सा दर्ज राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 44/32 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6080 है0 भूमि व खाता संख्या 63/63 की 0.1510 है0 भूमि के प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/1 की 0.152 है0 व 17 के मिन पूर्व की 0.101 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर वादी काबिज है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/2 की 0.075 है0 एवं 16/3 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 18 की 0.253 है0, 17 के मिन पश्चिम की 0.152 है0 भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 2 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 44/32 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6080 है0 भूमि व खाता संख्या 63/63 की कुल 0.1510 है0 दोनो खातो की भूमि को सम्मिलित करते हुए प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/1 की 0.152 है0 व 17 के मिन पूर्व की 0.101 है0 कुल 0.253 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/2 की 0.075 है0, 16/3 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 18 की 0.253 है0, 17 के मिन पश्चिम की 0.152 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:24 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1239/2024
अनवान : –

1. बलवंत सिंह पुत्र अमर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. अमरजीत सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी 26 एनटीआर तहसील नोहर ।
2. पाल कौर पत्नी वीरसिंह जाति जटसिख निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1239 सन 2024 निर्णय दिनांक -10/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 44/32 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.6080 है0 भूमि व खाता संख्या 63/63 की कुल 0.1510 है0 दोनो खातो की भूमि को सम्मिलित करते हुए प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/1 की 0.152 है0 व 17 के मिन पूर्व की 0.101 है0 कुल 0.253 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 16/2 की 0.075 है0, 16/3 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 328/423 के मु0 नं0 52 के किला नं. 18 की 0.253 है0, 17 के मिन पश्चिम की 0.152 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:24 IST
Reason: SelfAttested